राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6165/2021

पुष्पेन्द्र उपाध्याय –अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, समाज कल्याण, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, केनपुरा, पाली।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मानटाउन, सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 29.11.2022
आदेश की दिनांक : 01.12.2022

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (हिन्दी साहित्य) के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.08.2021 की अनुपालना में 01 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, केनपुरा, पाली में कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी द्वारा 01 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अपनी स्वेच्छा से विभाग में जाने का प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर समाज कल्याण विभाग द्वारा पद को रिक्त दर्शाते हुए विज्ञप्ति जारी की गयी थी। जिस पर प्रत्यर्थी संख्या–2 के आदेश दिनांक 26.08.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अन्य व्याख्याता पप्पुराम का चयन हो गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.11.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, केनपुरा, पाली से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मानटाउन, सवाईमाधोपुर किया गया था। अपीलार्थी की दोनों एडिया दुर्धटना में फैक्चर हो चुकी है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में गणेश धाम, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है, जिसके द्वारा अपीलार्थी की देखभाल की जा रही है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 01.11.2022 की अनुपालना में कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है, जो कि अपीलार्थी को हैरान परेशान करने एवं दुर्भावनावश कार्यमुक्त नहीं किए जाना नियम विरूद्ध एवं अवैध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.11.2022 (अनुलग्नक–1) की पालना में प्रत्यर्थी संख्या–3 को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मानटाउन, सवाईमाधोपुर के लिए कार्यमुक्त करे।

अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

आलोच्य आदेश परिशिष्ट–1 दिनांक 01.11.2022 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, केनपुरा, पाली से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मानटाउन, सवाईमाधोपुर किया गया है। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को आलोच्य आदेश की पालना में अपीलार्थी को स्थानान्तरित स्थान राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मानटाउन, सवाईमाधोपुर के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है तथा न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देश दिए जाते है कि आलोच्य आदेश दिनांक 01.11.2022 की पालना में अपीलार्थी को उक्त आदेश में स्थानान्तरित स्थान राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मानटाउन, सवाईमाधोपुर के लिए इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने के 07 दिवस में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

अपील अपीलार्थी ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य